

कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक यातायात जिला दुर्ग (छोगो)

क्रं/उ.पु.अ./याता/दुर्ग/ 19

/2023

दिनांक 18.01.2023

प्रति,

प्राचार्य

ज्योति स्कूल

चरौदा

विषय :- नाबालिक बच्चों द्वारा वाहन से स्कूल आने के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः देखने में आ जा रहा है कि आपके स्कूल में अध्ययनरत नाबालिक बच्चे जिन्हे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लायसेंस उपलब्ध नहीं कराया गया है दो पहिया वाहन लेकर स्कूल आते हैं एवं स्कूल के बाहर वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना की संभावना लगातार बनी रहती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नाबालिक बच्चों द्वारा दो पहिया वाहन चलाने हेतु प्रतिबंधित है। ऐसे बच्चों को स्कूल वाहन लाने पर रोक लगावें एवं मीटिंग के दौरान पालको को नाबालिक बच्चों को वाहन से स्कूल न जाने हेतु समझाईस दिया जावे। ताकि दुर्घटना को रोका जा सके यदि दुर्घटना घटित होती है तो सभी की जिम्मेदारी तय की जावेगी। अतः की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

उप पुलिस अधीक्षक (यातायात)

जिला दुर्ग

क्रं/उ.पु.अ./याता/दुर्ग/

/2023

दिनांक 01.2023

प्रतिलिपि:-01-जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला दुर्ग को कृपया सादर सूचनार्थ।

02-पुलिस अधीक्षक महोदय जिला दुर्ग को कृपया सादर सूचनार्थ।

उप पुलिस अधीक्षक (यातायात)

जिला दुर्ग